

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 306 /2022

उनवान

मदन पिता बालू नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- लादू पिता रामदेव नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 2- रामलाल पिता कालू गुर्जर(भडाणा) निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 3- भूरा पिता खाना नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 4- सोहन पिता कल्याण नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 5- लोबू पिता भूरा नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 6- भैरू पिता गोपी नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 7- हेमराज पिता भैरू नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा
- 8- नाथू पिता धन्ना नायक निवासी करमड़ास तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री राजेश वर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 20.9.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.20 है0, 1304 रकबा 1.16 है0, 1381 रकबा 0.67 है0, 1382 रकबा 0.04 है0, 1383 रकबा 0.02 है0 कुल किता 5 रकबा 2.09 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 3 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम करमड़ास पटवार हल्का करमड़ास संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा करमड़ास में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 5 रकबा 2.09 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 800/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.9.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

एवं सहायक कलेक्टर

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा